झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान– सभा

सप्तम् (शीतकालीन)– सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 30 अग्रहायण, 1943 [श0] / 21 दिसम्बर, 2021 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
03	स–08	श्री सरयु राय	जाँचकर दोषियों पर कार्रवाई।	स्वा0चि0 शि0 एवं प0कल्याण	10.12.2021

नोट 03– दिनांक– 17.12.2021 को सदन द्वारा दिनांक– 21.12.2021 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक– 21 दिसम्बर, 2021 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

...पांक संख्या प्रश्न–06/2020......2534....../वि०स०, रांची, दिनांक– 19/12/2021

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा० मुख्यमंत्री/मा० मंत्रिगण/मा० संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न–04/2015......2534....../वि०स०, रांची, दिनांक– 19/12/2021

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय . कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव(प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न–04/2015......2534....../वि०स०, रांची, दिनांक– 19/12/2021

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/ऑनलाइन शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

संजय/–

सत्यमेव जयते

पंचम

झारखण्ड विधान- सभा

सप्तम् (शीतकालीन)- सत्र

वर्ग- 05

मंगलवार, दिनांक- 30 अग्रहायण 1943 (श०)
21 दिसम्बर, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या- 01

(1) स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं - परिवार कल्याण विभाग	01
कुल योग-	01

जॉच कर दोषियों पर कार्रवाई

(3) अ0सू0 3

श्री सरयु राय क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	प्रभारी मंत्री
1–क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ मरीज को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने पर ही मिलता है,	स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 के बीच राज्य के कई असूचीबद्ध अस्पतालों, जैसे–मेडिट्रीना आदित्यपुर, ब्रह्मानंद नारायणा, तामोलिया आदि को कतिपय असूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ दिया है, जो अनियमित एवं भ्रष्ट आचरण है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् बीमारियों के इलाज हेतु सूचीबद्ध है। इस योजना अन्तर्गत फरवरी, 2020 से जुलाई 2020 के बीच असूचीबद्ध अस्पतालों को असूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ दिए जाने संबंधी सूचना सिविल सर्जन, जमशेदपुर के पत्रांक– 4232, दिनांक– 14.12.2021 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के जॉचोपरांत दोषी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जॉच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

नोटः– 03–दिनांक– 17.12.21 को सदन के द्वारा दिनांक– 21.12.21 के लिये स्थगित ।

3

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 17.12.2021 को सदन मे पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0–स–08 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारियों के ईलाज का लाभ मरीज को सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज कराने पर ही मिलता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 के बीच राज्य के कई असूचीबद्ध अस्पतालों, जैसे–मेडिट्रीना आदित्यपुर, ब्रह्मनंद नारायणा, तामोलिया आदि को कतिपय असूचीबद्ध बीमारियों के ईलाज का लाभ दिया है, जो अनियमित एवं भ्रष्ट आचरण है;	स्वीकारात्मक। अद्यतन स्थिति यह है कि फरवरी 2020 से जुलाई 2020 के बीच मेडिट्रीना अस्पताल, आदित्यपुर एवं ब्रह्मनंद नारायणा अस्पताल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् सुचिबद्ध नहीं था। विभागीय पत्रांक 151(13) दिनांक 04.11.2020 के द्वारा ब्रह्मनंद नारायणा अस्पताल को उक्त योजनाअंतर्गत सुचिबद्ध किया गया है। इस योजना अन्तर्गत फरवरी, 2020 से जुलाई 2020 के बीच असूचीबद्ध अस्पतालों को असूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का लाभ दिए जाने संबंधी सूचना सिविल सर्जन, जमशेदपुर के पत्रांक 4232 दिनांक 14.12.2021 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समिति बनाकर एक माह के अंदर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही पत्रांक 843 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा भ्रामक उत्तर सामग्री तैयार करने से संबंधित दोषी पदाधिकारियों को तत्काल चिन्हित करते हुए कार्रवाई हेतु प्रस्ताव का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–07–10/2021 212(3) राँची, दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 2268/वि0स0 दिनांक 11.12.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 30 अग्रहायण, 1943 (श०) 21 दिसम्बर, 2021 (ई०) को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र०सं०–	विभागों को भेजी गई सा० संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
44–	उ– 02	डॉ० सरफराज अहमद	अनापत्ति प्रमाण पत्र देना।	उद्योग	13.12.2021
45–	उत 01	डॉ० इरफान अंसारी	डिग्री कॉलेज की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	10.12.2021
46–	वन– 01	श्री समीर कुमार मोहन्ती	रोजगार सृजित करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	10.12.2021
47–	ज– 03	श्री रामचन्द्र सिंह	सिंचाई की व्यवस्था करना।	जल संसाधन	13.12.2021
48–	शि– 12	श्री रणधीर कुमार सिंह	पदस्थापन सुनिश्चित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12 2021
49–	वन– 05	श्री राजेश कच्छप	जीर्णोद्धार करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	13.12.2021
50–	उत 06	श्रीमती पुष्पा देवी	पढ़ाई चालु कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.12.2021
51–	ज– 02	श्री उमाशंकर अकेला	गेट बनाना।	जल संसाधन	13.12.2021

01.	02.	03.	04.	05.	06
52–	खा– 03	श्री संजीव सरदार	राशि का भुगतान	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	14.12.2021
53–	शि– 13	श्री जिगा सुसारन होरो	कर्मचारियों की कमी दूर करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.2021
54–	ज– 04	श्री अनन्त कुमार ओझा	कार्य प्रारंभ करना।	जल संसाधन	13.12.2021
55–	शि– 14	श्री दशरथ गागराई	मानदेय में वृद्धि करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.2021
56–	शि– 08	श्री भानु प्रताप शाही	अंशदान की राशि देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
57–	टन– 03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	सम्मान कार्यक्रम का आयोजन	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.12.2021
58–	ज– 06	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	निर्माण कराना।	जल संसाधन	13.12.2021
59–	शि– 01	श्री बिरंची नारायण	प्रधानाध्यापक की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.2021
60–	खा– 01	श्री विनोद कुमार सिंह	दोषियों पर कार्रवाई।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	10.12.2021
61–	टन– 06	श्री अमर कुमार बाऊरी	भैरव महोत्सव कराना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.12.2021
62–	टन– 05	श्री भानु प्रताप शाही	सोलर सिटी की स्थापना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.12.2021
63–	उत्त 09	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14.12.2021
64–	टन– 04	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	बाउंड्री का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.12.2021
65–	वन– 06	सुश्री अम्बा प्रसाद	प्रदूषण भत्ता देना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	14.12.2021

(कृ० पृ० उ०)

01.	02.	03.	04.	05.	06
66–	वन– 04	श्रीमती सीता सोरेन	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	13.12.2021
67–	ख– 01	श्री कमलेश कुमार सिंह	माईनिंग सर्कुलर लागु कराना।	खान एवं भूतत्व	10.12.2021
68–	ज– 01	श्री कमलेश कुमार सिंह	अतिथिशाला को पूर्ण कराना।	जल संसाधन	10.12.2021
69–	ख– 03	श्री बंधु तिर्की	पुनर्वास की व्यवस्था कराना।	खान एवं भूतत्व	13.12.2021
70–	ख– 04	श्री मनीष जायसवाल	योजनाओं का चयन करना।	खान एवं भूतत्व	13.12.2021
71–	शि– 02	श्री विनोद कुमार सिंह	भवन निर्माण की स्वीकृति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.2021
*72–	उत– 02	डॉ० इरफान अंसारी	दोषियों पर कार्रवाई।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	10.12.2021
73–	उ– 01	श्री अमित कुमार मंडल	स्थापना कराना।	उद्योग	13.12.2021
74–	टन– 08	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	विकसित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	14.12.2021
75–	ज– 08	सुश्री अम्बा प्रसाद	पेयजल आपूर्ति करना।	जल संसाधन	13.12.2021
76–	शि– 07	श्री मनीष जायसवाल	नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
77–	ख– 05	श्री सरयू राय	दण्ड दिलाना।	खान एवं भूतत्व	14.12.2021
78–	ख– 02	श्री उमाशंकर अकेला	कानूनी कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	13.12.2021
79–	ज– 09	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	योजना का क्रियान्वयन।	जल संसाधन	14.12.2021
80–	शि– 11	श्री निरल पुरती	शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.2021

(कृ० पृ० उ०)

01.		02.	03.	04.	05.	06
81–	उत्त	05	श्री अनन्त कुमार ओझा	शैक्षणिक व्यवस्था प्रारंभ करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.12.2021
82–	टन–	07	श्री रामदास सोरेन	पथ का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	14.12.2021
83–	खा–	02	श्रीमती पुष्पा देवी	कार्रवाई करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	13.12.2021
84–	उत्त	08	श्री संजीब सरदार	वेतनमान का लाभ देना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14.12.2021
85–	शि–	09	श्री केदार हजरा	उच्च विद्यालय का दर्जा देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
86–	टन–	02	श्री रामचन्द्र सिंह	सौन्दर्यीकरण करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.12.2021
87–	उत्त	03	श्री अमित कुमार मंडल	कॉलेज की स्थापना करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.12.2021
88–	ज–	07	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	विभागीय कार्रवाई करना।	जल संसाधन	13.12.2021
89–	ज–	05	श्री नलिन सोरेन	केनाल बनाना।	जल संसाधन	13.12.2021
90–	उत्त	04	श्री कोचे मुण्डा	नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.12.2021
91–	टन–	01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	जीर्णोद्धार कराना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	13.12.2021
92–	ज–	10	श्री सुदेश कुमार महतो	योजना प्रारंभ कराना।	जल संसाधन	14.12.2021
93–	उ–	03	श्री राजेश कच्छप	बोर्ड का गठन करना।	उद्योग	13.12.2021
94–	उत्त	07	श्री नलिन सोरेन	वेतन भुगतान करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.12.2021
95–	वन–	03	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	कार्रवाई करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	13.12.2021

(कृ० पृ० उ०)

01.	02.	03.	04.	05.	06
96– वन–	02	डॉ0 लम्बोदर महतो	मुआवजा का भुगतान।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	13.12.2021
97– शि–	10	डॉ0 लम्बोदर महतो	+2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
98– शि–	03	श्री अमित कुमार यादव	पदाधिकरियों का पदस्थापन ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
99– शि–	05	श्री बंधु तिर्की	नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
100– शि–	06	श्री दशरथ गागराई	नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
101– शि–	04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	बीमा लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021

नोटः– * क्रम सं0–72 (उत्त–02) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–1211, दिनांक– 14.12.21 द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थानांतरित।

रॉंची,
दिनांक– 21 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–2502/वि0स0, रांची, दिनांक– 16.12.2021

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.2021
(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–2502/वि0स0, रांची, दिनांक– 16.12.2021

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–2502/वि0स0, रांची, दिनांक– 16.12.2021

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा जे0भी0एस0टी0भी0 शाखा, अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

सुभाष/

16/12/21

44

डॉ० सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या उ0–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो मौजा–कोण्ड्रा थाना संख्या–51 के खाता संख्या–262 अन्तर्गत प्लॉट सं0–5098, 5099 एवं 5097 अंश रकबा 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व उद्योग विभाग के पास है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, 30 बेडेड कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना हेतु वर्णित भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–229, दिनांक–17.03.91 द्वारा उद्योग विभाग से की गयी थी;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–229, दिनांक–17.03.2021 द्वारा बोकारो प्रक्षेत्र में 30 Bedded कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के निर्माण हेतु उपायुक्त, बोकारो द्वारा चिन्हित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव निदेशक उद्योग को प्राप्त है।
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित भूमि से संबंधित अनापत्ति आजतक उपायुक्त, बोकारो को अप्राप्त है;	चिन्हित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार बोकारो में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना हेतु खण्ड–1 में वर्णित भूमि का अनापत्ति उपायुक्त, बोकारो को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–55/2021 1274 /राँची, दिनांक:– 20/12/2021
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2432 दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
सरकार के अवर सचिव

(45)

डॉ॰ इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक- 21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-01 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला एक अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है एवं इसमें नारायणपुर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे यहाँ के छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन बाधित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा एवं जामताड़ा संध्या महिला महाविद्यालय (संबद्धता प्राप्त) संचालित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखण्डवार डिग्री महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार का निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- 01/वि0स0-32/2021 1779 /   रांची, दिनांक- 20/12/2021 /

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-2237 दिनांक-10.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(46)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-वन-01 की उत्तर।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ बहुतायत संख्या में शाल वृक्षों का जंगल है जिसके पत्ता चुनकर बहुत से स्थानीय लोग जीवन-यापन करते है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। साल के हरे पत्तों को तोड़कर आदिवासी समूहों द्वारा पत्तों से दोना एवं पत्तल बनाकर बेचना भी उनके जीविकोपार्जन का एक साधन है।
2	क्या यह बात सही है, कि पश्चिम बंगाल व ओड़िसा मे शाल के पत्ते से पत्तल तथा दोना बनाने के उद्योग काफी संख्या में स्थापित है;	राज्य सरकार के पास इससे संबंधित सूचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के तर्ज पर बहरागोड़ा में पत्तल व दोना निर्माण हेतु उद्योग स्थापित कर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सामान्यतः वनवासियों द्वारा स्थानीय बाजार-हाट में साल पत्तों से निर्मित दोना एवं पत्तल की बिक्री की जाती है। यह भी सत्य है कि व्यापारियों के प्रतिनिधियों द्वारा साल पत्तों से निर्मित पत्तल एवं दोना की खरीदारी किया जाता है। विगत वर्षों में वन प्रबंधन समितियों को साल पत्ता बनाने की मशीन का वितरण किया गया है, ताकि इस मशीन का उपयोग कर समिति के सदस्यों द्वारा आसानी से पत्तल व दोना बनाकर बेच सकें। वर्तमान में कुटीर उद्योग से संबंधित कोई प्रस्ताव नही है। जंगलों से साल पत्तों को चुनकर लाना, उन्हें यथावत बेचना या दोना/पत्तल बनाकर बेचना सरकार के प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत ही है।

झारखण्ड सरकार
<u>वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक-05/वि0स0 तारांकित प्रश्न-143/2021 3601 व0प0, राँची, दिनांक-20/12/2021

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को ज्ञापांक-2244, दिनांक-10.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(47)

माननीय स०वि०स० रामचन्द्र सिंह द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०– ज–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखंड में अवस्थित मण्डल डैम (उत्तरी कोयल परियोजना) के तट पर अवस्थित ग्राम यथा चोरवाई, कुटुमगढ़, छेचा, चपरी, लंका, खुरी, मंगरा, अम्बडीह, कल्याणपुर, कंचनपुर, केचकी ग्राम में बराज नहीं होने से स्थानीय कृषकों के हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो पाती है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी ग्रामों को मण्डल डैम (उत्तर कोयल परियोजना) से जोड़कर बराज बनाते हुए सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित संदर्भित गाँवों में वांछित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्भाव्यता का अध्ययन कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 6377 /राँची, दिनांक– 17/12/21

प्रतिलिपि – उप अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं०–2428, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(48)

2429
20-12-21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-12

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि इस राज्य में प्राथमिक शिक्षक का नियोजन जो हुआ है उन्हें गृह जिला में पदस्थापन नहीं करके दूर के जिलों में पदस्थापित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष-2014, 2015-16 एवं 2019 में झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के अधीन की गई नियुक्ति के क्रम में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा की उत्तीर्णता के आधार पर अनुमान्यता के आलोक में योग्य अभ्यर्थी स्वेच्छा से संबंधित जिले में आयोजित कांउसिलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे एवं नियुक्त होकर विधिवत् पदस्थापित किये गये हैं।
2	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमावली में अंकित प्रावधान के आलोक में गृह जिला में पदस्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2093, दिनांक-06.08.2019 अधिसूचित है।

अरुण सिंह 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-80/2021 2429 /राँची, दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2461, दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरुण सिंह 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

(49)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–05 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रांची जिला के ओरमांझी प्रखण्ड के भैरवी नदी पहाड़ी के तलहटी में मुटा देश भर में एक मात्र नैसर्गिक मगरमच्छ प्रजनन केन्द्र स्थापित है;	अस्वीकारात्मक। रॉंची जिला के ओरमांझी प्रखण्ड के मुटा स्थित मगर प्रजनन केन्द्र की मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक–1883/2017 दिनांक–01.11.2017 द्वारा समाप्त हो चुकी है। निदेशानुसार मगर प्रजनन केन्द्र का संचालन बंद किया जा चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण खण्ड–1 में वर्णित प्रजनन केन्द्र का अस्तित्व खतरे में है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रजनन केन्द्र के बदहाली के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों, पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं उक्त केन्द्र का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि०स०(तारांकित प्रश्न-147/2021–3604 व०प०, दिनांक–20/12/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0–2417, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(50)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-06 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज भवन बनकर तैयार है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। डिग्री महाविद्यालय, छतरपुर का निर्माण हो चुका है। Handover की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज भवन तैयार रहने के बावजूद अभी तक उसमें डिग्री की पढ़ाई चालू नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि छतरपुर मे डिग्री की पढ़ाई नहीं चालू होने से वहाँ एवं आसपास के छात्र-छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 60-70 कि0मी0 दूर पलामू जाना पड़ता है या फिर उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। छतरपुर मे गुलाब चन्द प्रसाद अग्रवाल डिग्री महाविद्यालय मे डिग्री स्तर की पढ़ाई विगत 10 वर्षों से हो रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय स्थित तैयार डिग्री कॉलेज भवन मे अविलंब पढ़ाई चालु करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	डिग्री महाविद्यालय, छतरपुर मे शिक्षक के 18 एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 11 पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। पद सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदन हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- 01/वि0स0-36/2021 1777 / रांची, दिनांक- 20/12/2021 /

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2394, दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suresh 20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(51)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के पदमा प्रखण्ड में लोटिया डैम का निर्माण वर्ष 1978 ई० में हुआ है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त डैम का निर्माण के बाद आज तक इस डैम का गहरीकरण का कार्य नहीं कराया गया है और मिट्टी कटाव से लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा मिट्टी से भर चुका है एवं मात्र 20 प्रतिशत डैम में ही पानी बचा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। डैम के डूब क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत भू–भाग में ही Dead Storage Level (DSL) से उपर गाद जमा है। जलाशय के शेष 90% भाग में जल संचयन क्षमता है।
3.	क्या यह बात सही है, कि डैम से पानी निकासी का गेट खराब हो जाने के कारण पानी निकलकर बर्बाद हो जाता है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डैम का गहरीकरण करने तथा डैम का नया गेट बनाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाइ की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–74/2021 – 6372 /राँची, दिनांक 12/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2430 वि०स० दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(59)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री संजीव सरदार
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर जिलान्तर्गत पोटका लैम्पस, कोवाली लैम्पस एंव आसनबनी लैम्पस में विगत 03 वर्षों से धान अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया गया है,	पोटका लैम्पस को खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के विरूद्ध रूपये 7,19,701/– तथा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के विरूद्ध कोवाली लैम्पस को रूपये 3,23,641/– एवं आसनबनी लैम्पस को रूपये 4,178/– को भुगतान हेतु राशि जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर को PFMS के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है एवं अतिशीघ्र लैम्पस को भुगतान करने का निदेश दिया गया है। धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत धान अधिप्राप्ति केन्द्रों को कमीशन के रूप में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। अभी तक पूरे राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों को कमीशन मद में रूपये 7.06 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसमें जमशेदपुर जिलान्तर्गत रूपये 1.30 करोड़ का भुगतान सम्मिलित है। भारतीय खाद्य निगम से राशि प्रतिपूर्ति होने के उपरांत पुनः इस राशि का उपयोग अन्य अधिप्राप्ति केन्द्रों को कमीशन मद के भुगतान में किया जाता है। धान अधिप्राप्ति केन्द्रों को भुगतान की गई राशि का आनुषंगिक (Incidental) विपत्र समर्पित करने का निदेश जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर को दिया गया है। राशि प्रतिपूर्ति उपरांत अन्य अधिप्राप्ति केन्द्रों को भी कमीशन की राशि का भुगतान किया जायेगा।
(2) क्या यह बात सही है कि कमीशन की राशि भुगतान न होने के कारण लैम्पस समिति में पूंजी का अभाव हो गया है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित लैम्पस समिति को कमीशन राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–19/2021 3468 /राँची, दिनांक 17/12/21

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2404/वि०स०, दिनांक 14.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(53)

2356
20/12/2021

श्री जिगा सुसारन होरो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि–13

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत भरनो प्रखंडाधीन प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय महादेव बैगरी संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय में शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कमी है, जिससे आस–पास के पिछड़े अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 1899 दिनांक 17.12.2021 के अनुसार इस विद्यालय में वर्तमान में एक शिक्षक पदस्थापित है तथा छात्र हित में उनके कार्यालय के पत्रांक 1596 दिनांक 02.12.2021 द्वारा इस विद्यालय में पठन–पाठन हेतु दो शिक्षकों को प्रतिनियुक्त भी किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 02 में उद्धृत विषय के गंभीरता के मद्देनजर विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कमी दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची से प्राप्त दिशानिदेश के आलोक में झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् दो शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

(हस्ताक्षर) 20/12/21

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–139/2021....2356..../ दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के अवर सचिव।

(51)

श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड साहेबगंज सदर, राजमहल एवं अथवा भौगोलिक रूप से गंगा के तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ गंगा का अविरल प्रवाह और 83.15 कि०मी० Erosion Prone Area में अवस्थित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला के राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत शोभापुर (NH, 80 के नजदीक) गंगा कटाव निरोधक कार्य, चण्डीपुर में प्रदीप चौरसिया के घर के पास गंगा कटाव निरोधक कार्य, ग्राम–महाजनटोला के पास गंगा कटाव निरोधक कार्य, ग्राम–खट्टीटोला से बानो टोला तक गंगा कटाव निरोधक कार्य तथा उधवा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम–पलाशगाछी से जीतनगर तक गंगा कटाव निरोधक कार्य कुल पाँच स्थलों को चिन्हित तथा प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को समर्पित की जा चुकी है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित क्षेत्रों में गंगा कटाव निरोधक कार्य के लिए भेजे गए प्राक्कलन प्रस्ताव की अविलम्ब प्रशासनिक स्वीकृति देने तथा अविलम्ब गंगा कटाव निरोधक कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत प्रथम 04 (चार) कार्य का राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त है। अनुशंसित प्राक्कलन विभागीय योजना समीक्षा समिति को प्रस्तावित है, विचारोपरांत कार्यान्वित की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–76/2021 – 6375 **/राँची, दिनांक** 17/12/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2426 वि०स० दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

55

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2434
20-12-21

श्री दशरथ गागराई, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-14

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की 57वीं बैठक में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरवर्णित बैठक में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं लिया गया;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अल्प मानदेय में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय को शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को भी कार्य में परेशानी हो रही है ;	कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की गई है। वर्त्तमान में शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिया जा रहा मानदेय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से ज्यादा है, जो निम्नवत् है:- पदनाम | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय प्रतिमाह | समय-समय पर बढ़ोत्तरी के साथ वर्त्तमान में प्रतिमाह देय मानदेय लेखापाल | 16000/- | 18000/- रसोईया | 6000/- | 12000/- रात्रि प्रहरी | 5000/- | 12000/-
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के शिक्षकाओं के साथ-साथ शिक्षकेत्तर कर्मियों का भी मानदेय वृद्धि का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों को मानदेय की राशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भुगतान की जाती है। भारत सरकार द्वारा मानदेय मद में उपबंध राशि में वृद्धि हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने पर ही शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय वृद्धि पर विचार किया जा सकता है।

अरुण सिंह
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–79/2021 9434 /राँची, दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2462, दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(56)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2433
30-12-21

श्री भानु प्रताप शाही, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-08

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 65,000 हजार पारा शिक्षक कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक वर्त्तमान में राज्य में 62876 पारा शिक्षक कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में दो वर्ष से सेवानिवृत एवं मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को किसी भी तरह का सहयोग राशि नहीं दिया जा रहा है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कल्याण कोष नियमावली बनाकर 10 करोड़ रुपये एक मुश्त में जारी किया गया था;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः कल्याण कोष नियमावली को लागू करते हुए सेवानिवृत एवं मृत पारा शिक्षकों को अंशदान की राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में कार्यरत पारा शिक्षक, प्रखण्ड साधनसेवी (बी.आर.पी.) संकुल साधनसेवी (सी. आर.पी.), कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएँ एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु "समग्र शिक्षा के अधीन कार्यरत संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाईटी" का गठन कर निबंधन करा लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वेलफेयर सोसाईटी हेतु राशि 10 करोड़ रूपये प्राप्त है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा समूह बीमा, दुर्घटना बीमा एवं सेवानिवृत्ति का लाभ देने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EoI) प्रकाशित कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए योग्य संस्थान का चयनकर अविलम्ब कल्याण कोष का संचालन किया जाएगा।

अरुण सिंह 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 2433 /राँची, दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2402, दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरुण सिंह 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

Bhurshan

57

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक– 21.12.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–03 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, सदस्य विधान सभा	उत्तर दाता श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि खूँटी जिले के मुरहु प्रखण्ड अंतर्गत डुम्बारीबुरू में आजादी की लड़ाई में 400 लोग शहीद हुए थे;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि भगवान बिरसा मुण्डा के सेनापति का गॉव ऐटकाडीह कुदा पंचायत एवं झारखण्ड आंदोलन के अग्रणी नेता जयपाल सिंह मुण्डा का गॉव खूँटी प्रखण्ड के टकरा में है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि टकरा ऐटकाडीह एवं डुम्बारीबुरू में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों के सम्मान में सरकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें सरकार द्वारा दो लाख रू० का प्रावधान किया गया है जिसे वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है;	कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है तथा आयोजन हेतु विभाग से राशि की माँग की जाती है। जिला प्रशासन द्वारा राशि की माँग की जाने पर राशि आवंटित की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फिर से शहीदों के सम्मान में बंद किये गये कार्यक्रमों का आयोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–124/2021 2028 / राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 2412/वि०स०, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड के ग्राम सिगसिगी मे गाय घाट नाला तथा ग्राम अमवा मे बरवईया नाला तथा उटारी रोड प्रखंड के सतबहिनी ग्राम मे जमुनदाहा नाला अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त तीनों नाला पर डैम नहीं रहने के कारण हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि सिंचाई के आभाव मे परती रह जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जमुनादाहा नाला पर विश्रामपुर प्रखंड के घासीदाग ग्राम में एक अदद् चेकडैम का निर्माण किया गया है, जिसकी सिंचाई क्षमता 40 हेक्टेयर है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर वर्णित नालों पर डैम एवं नहर निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रश्नगत नालों पर सर्वेक्षणोपरांत चेकडैम निर्माण की तकनीकी संभाव्यता का आकलन करने के उपरांत बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए चेकडैम के निर्माण का निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-ता०-78/2021 6347 /   राँची, दिनांक-17/12/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-__ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कांके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(59)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2431
20-12-21

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– शि–01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के स्कूलों में हेडमास्टर के 98.5% पद रिक्त है और 14,251 मिडिल स्कूल से लेकर प्लस–टू स्कूल में मात्र 203 स्थायी प्रधानाध्यापक ही कार्यरत है, साथ ही प्रोन्नति से भरे जाने वाले प्रधानाध्यापक के पद पर भी शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हुई है, जिससे राज्य में शिक्षा का विकास प्रभावित हो रहा है;	(i) वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों के उपरांत आपसी वरीयता निर्धारित करने हेतु संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या–1145 दिनांक 18.07.2016 के आलोक में ग्रेड–3 एवं 4 एवं उच्चतर ग्रेडों में वांछित अर्हताधारी अभ्यर्थी/शिक्षक नहीं होने के कारण अधिकांश पदों पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। वर्तमान में राजकीयकृत शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान के क्रम में कालावधि पूर्ण होने पर ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति जिला स्थापना समिति से देने का प्रावधान है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–6752, दिनांक 24.12.2020 के द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति पर रोक है। (ii) वर्तमान में राज्य में, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नांकित विद्यालय है :–

विद्यालय की कोटि एवं कुल संख्या		सृजित पद का नाम	स्वीकृत एवं कार्यरत पद		अभ्युक्ति
+2 उच्च विद्यालय	510	प्राचार्य (67% सीधी नियुक्ति एवं 33% प्रोन्नति द्वारा	59	0	शेष 451, +2 उच्च विद्यालयों में प्राचार्य के पद के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
उच्च विद्यालय	2326	प्रधानाध्यापक (50% सीधी नियुक्ति एवं 50% प्रोन्नति द्वारा	2137	44	510, +2 उच्च विद्यालयों को छोड़कर प्रधानाध्यापक के शेष 1627 पदों हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
कस्तूरबा गांधी एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय	260	प्राचार्य	260	0	नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली के गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
झारखण्ड मॉडल विद्यालय	89	प्राचार्य	89	0	नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली के गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

+2 उच्च विद्यालय, नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 एवं माध्यमिक उच्च विद्यालय, नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 में भी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के निदेश के आलोक में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

Khurshid

अनुमोदित

	प्रश्न	उत्तर
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के करीब 9,000 स्कूलों में 510 प्लस-टू स्कूलों, 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों समेत करीब 8,000 से अधिक उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद ही सृजित नहीं किया गया है तथा 10 जिलों क्रमशः हजारीबाग, साहेबगंज, सिमडेगा, चतरा, लोहरदगा, सरायकेला-खरसावाँ, खूँटी, रामगढ़, पाकुड़ और कोडरमा के एक भी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है;	(i) वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत [illegible] उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद सृजित नहीं है। इन विद्यालयों में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक उत्क्रमित विद्यालय में 03 संविदा आधारित पदों का सृजन किया गया है। जिस पर संविदा पर पारा शिक्षक कार्यरत है। प्रश्नगत जिलों के सरकारी मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र.	जिला का नाम	प्रधानाध्यापक के स्वीकृत पद	प्रधानाध्यापक के कार्यरत पद
1	हजारीबाग	124	0
2	साहेबगंज	87	0
3	सिमडेगा	80	0
4	चतरा	81	0
5	लोहरदगा	68	0
6	सरायकेला- खरसावा	100	0
7	खूँटी	65	0
8	रामगढ़	53	0
9	पाकुड़	61	0
10	कोडरमा	53	0

(ii) माध्यमिक शिक्षा निदेशालयान्तर्गत सृजित पदों का विवरण निम्नांकित है :-

पद का नाम एवं विद्यालय की कुल संख्या		कुल सृजित पद	15.11.2000 के पूर्व	15.11.2000 के बाद	अभ्युक्ति
प्राचार्य, +2 उच्च विद्यालय	510	59	59	0	शेष 451, प्राचार्य के पद के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय	2326	2137	797	1340	वर्ष 2016 में उत्क्रमित 189 उच्च विद्यालयों में पद सृजित नही है।
प्राचार्य, कस्तुरबा गांधी एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय	260	260 (प्राचार्य के 01-01 पद के अतिरिक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 11-11 पद भी सृजित है।)	लागू नहीं	260	दिनांक 08.06.2016 की प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक तथा दिनांक 26.07.2016 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या-23 के रूप में पद स्वीकृत किया गया तथा इसका संसूचन विभागीय संकल्प संख्या-1490 दिनांक 13.08.2016 द्वारा किया गया।
प्राचार्य, झारखण्ड मॉडल	89	89 (प्राचार्य के	लागू नहीं	89	दिनांक 09.05.2017 की मंत्रिपरिषद की

Khurshid

प्रश्न		उत्तर					
		विद्यालय		01–01 पद के अतिरिक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 11–11 पद भी सृजित हैं।)			बैठक की मद संख्या–06 के रूप में पद स्वीकृत किया तथा इसका संसूचन विभागीय संकल्प संख्या–777 दिनांक 18.05. 2017 द्वारा किया गया।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में शिक्षा के विकास और स्कूलों के बेहतर प्रबंधन हेतु इसी नियुक्ति वर्ष में सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों में नियुक्ति करते हुए इस स्थिति हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।					

20/12/21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 2431 /रांची दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2238 दिनांक 10.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/12/21

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(60)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विनोद कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को सितंबर माह का अनाज ऑनलाइन वितरित दिखाया जा रहा है;	गिरिडीह जिलान्तर्गत 2,187 जन वितरण प्रणाली दुकान ऑनलाईन मोड में कार्यरत है जहाँ Biometric Authentication के आधार पर लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। साथ ही, 17 जन वितरण प्रणाली दुकान ऑफलाईन मोड में कार्यरत है जहाँ पंजी के माध्यम से लाभुकों खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। तदोपरांत डाटा की e-PoS से प्रविष्टि की जाती है। गिरिडीह जिला में सितंबर माह में 10745.672 मे०टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह में सितंबर माह का अनाज लाभुकों को नही मिला है;	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 1450, दिनांक 15.12.2021 में निहित प्रतिवेदन के अनुसार कुछेक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा माह सितम्बर 2021 के खाद्यान्न वितरण नहीं करने की सूचना जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई थी जिसके उपरांत जिला आपूर्ति कार्यालय के ज्ञापांक–1423 दिनांक 09.12.2021 द्वारा गिरिडीह जिले के सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए इस आशय का प्रतिवेदन की माँग की गई थी कि संबंधित प्रखण्ड अन्तर्गत सभी लाभुकों को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से शत–प्रतिशत खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है, के आलोक में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों से उक्त आशय का प्रतिवेदन प्राप्त है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त राशन के गबन की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वैसे जनवितरण प्रणाली विक्रेता जिनके विरूद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, उनकी जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से करायी गई है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार कुल 18 अनुज्ञप्तिधारी को निलंबित किया गया है। शेष के मामले में जाँच की प्रक्रिया जारी है।

20/12/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–16/2021 3493 /राँची, दिनांक 20/12/21
प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 2245/वि०स०, दिनांक 10.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(61)

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्व की सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर यथा चतरा का इटखोरी महोत्सव, रामगढ़ का रजप्पा महोत्सव एवं बोकारो के चंदनकियारी में भैरव महोत्सव का आयोजन कर स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का बढ़ावा देने की पहल की थी,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी धार्मिक स्थलों पर महोत्सव का आयोजन पिछले दो वर्षों से कोविड के करण नही किया गया है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वर्ष भैरव महोत्सव करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	3.	महोत्सवों का आयोजन उपायुक्त से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा बजट उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। कोविड के कारण विगत दो वर्षों से महोत्सवों का आयोजन नहीं हुआ है तथा वर्तमान में भी भीड़ वाले आयोजन पर रोक है। उपायुक्त से भैरव महोत्सव आयोजन हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है। उपायुक्त से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कोविड महामारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के आयोजन के संबंध में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त महोत्सव आयोजन पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/127/2021 2023 /राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2413/वि०स०, दिनांक–13/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(62)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर स्थित बाबा बंशीधर मंदिर अवस्थित है, जो पर्यटन स्थल श्रेणी की अर्हता रखता है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि बिजली की लचर व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को रात्रि में काफी परेशानी होती है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार बाबा बासुकीनाथ मंदिर के तर्ज पर श्री बंशीधर बाबा मंदिर में सोलर सिटी की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	3.	सौर उर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति के संबंध में उर्जा विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/126/2021 2027 /राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2418/वि०स०, दिनांक–13/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

(63)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-09 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निरसा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के छात्राओं के शिक्षा के लिए महिला महाविद्यालय की स्थापना अब तक नहीं की गई है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि निम्न आय वर्ग के छात्राओं को महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारन उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक धनबाद जिला अंतर्गत निरसा विधान सभा क्षेत्र में 01 अंगीभूत महाविद्यालय बी॰ एस॰ के॰ महाविद्यालय, मैथन, धनबाद तथा 01 स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय के॰ एस॰ जी॰ एम॰ कॉलेज, निरसा, धनबाद अवस्थित है । निरसा विधान सभा क्षेत्र मे महिला महाविद्यालय की स्थापना संबंधी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।
4.	यदि उपरयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निम्न आय वर्ग के छात्राओं के उच्च शिक्षा तथा विकास के लिए चालू, वितीय वर्ष मे महिला महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका - 3 मे निहित है ।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि0स0-38/2021 ...1773.../ रांची, दिनांक- ...20/12/2021.../

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2466 दिनांक-14.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suresh 20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

64

श्री रामचन्द चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड अंतर्गत सतबहिनी झरना स्थल स्थित है जिसे सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप विकसित करने की घोषणा की गई है और सरकार द्वारा यहाँ विकास का कार्य भी किया गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन तथा भ्रमण होता है, परन्तु इसके चौबीस एकड़ भूमि पर फैले परिसर पर बाउण्ड्री नही होने से परिसर असुरक्षित है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तीर्थ स्थल की संपूर्ण भूमि पर बाउण्ड्री का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, अतः उक्त भूमि पर चहारदिवारी निर्माण की उपयोगिता के आकलन एवं बजटीय राशि उपलब्धता के आधार पर चहारदिवारी निर्माण पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/125/2021......2022........../राँची, दिनांक........20.12.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2410/वि०स०, दिनांक–13/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

सुश्री अंबा प्रसाद, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1.क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव विधानसभा क्षेत्र में बड़ी–बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्खनन ट्रांसपोर्टिंग एवं अन्य कार्य किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही है कि इन कंपनियों द्वारा खनन और ट्रांसपोर्टिंग नियमों की घोर अवहेलना करने के कारण पूरे क्षेत्र में जल, वायु तथा मृदा प्रदूषित होने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य जीविका और आमजनों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	खनन इकाईयों में वेट ड्रीलिंग एवं कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग के बाद खनन किया जाता है तथा डम्पर/हाइवा को त्रिपाल से ढक कर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन डम्प साइडिंग तक किया जाता है। ट्रांसपोर्टिंग रोड पर पानी छिड़काव नियमित रूप से कराए जाते हैं। खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण किये गये हैं। ओवर बर्डेन पर भी वृक्षारोपण किये गये है तथा ओवर बर्डेन के किनारे टो वाल, गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग पीट बनाये गये हैं। मेसर्स एन0टी0पी0सी0 के खदान में रेलवे साईडिंग तक कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु कन्वेयर बेल्ट स्थापित किये गये हैं, जिसके जनवरी, 2022 में चालू होने की सूचना इकाई प्रबंधन द्वारा दी गई है। कन्वेयर बेल्ट चालू होने के उपरान्त रोड ट्रांसपोर्टिंग काफी कम हो जाएगा। तथाकथित खनन एवं परिवहन के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु खान, भूतत्व विभाग एवं परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है। सीनियर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया है।
3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोगों को प्रदूषण के दंश से बचने हेतु उक्त कंपनियों पर दण्डात्मक कार्रवाई, प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों को प्रदूषण भत्ता, व्यापक वृक्षारोपण सहित अन्य ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि०स० तारांकित प्रश्न–150/2021–3606 व0प0, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2460, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

66

श्रीमती सीता सोरेन, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सीसीएल के आम्रपाली परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं में कोयले के परिवहन हेतु व्यापक पैमाने पर वन भूमि का इस्तेमाल हो रहा है। मामला वन विभाग के संज्ञान में आने के बाद भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण खाता सं0–68, प्लॉट संख्या–293 अंचल टंडवा, जिला चतरा है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन भूमि दर्ज है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–08–48/2008 FC दिनांक–12.10.2010 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 531.59 हे0 वनभूमि के अपयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। मौजा कुमरांगखूर्द में 4.57 एकड़ वनक्षेत्र में तथा नवडीहा में लगभग 1.0 एकड वन क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उल्लंघन कर सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। वनभूमि के अतिक्रमण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत् दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उपर्युक्त कुमरांगखूर्द एवं नवडीहा वन के खाता संख्या–68, प्लॉट संख्या–293 पर उक्त अवैध निर्माण के खिलाफ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन (जनहित याचिका) भी दायर की गयी है। मामला सम्प्रति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के अन्तर्गत है।
2. क्या यह बात सही है कि 57 एकड़ कुल मान्य भूमि में से 14 एकड़ वन भूमि दर्ज है फिर भी खुलेआम कोयला ढुलाई कार्य का जंगल को उजाड़ा जा रहा है। आम्रपाली खद्दान से शिवपुर साइडिंग तक का रोड वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कभी काट दिया जाता है तो कभी जोड़ दिया जाता है;	मे0 सी0सी0एल0 के आम्रपाली परियोजना से भारतीय रेलवे के शिवपुर रेलवे साईडिंग के मध्य पड़ने वाले नवडीहा मौजा में 440.43 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि है। जिनमें वर्ष 2019 एवं 2020 में लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में सी0सी0एल0 के मे0 माँ अम्बे एवं रामेश्वरम प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ने अवैध सड़क का निर्माण किया था। उक्त खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या पर सी0सी0एल0 की वर्तमान परिवहन कंपनी मे0 आ0के0टी0सी0 द्वारा सी0सी0एल0 की नयी परिवहन निविदा के आलोक में परिवहन कार्य शुरू करने पर वन विभाग के स्थानीय वन पदाधिकारियों ने दिनांक–24.09.2021 को रास्ता अवरूद्ध कर दिया था। परन्तु मे0 आर0के0टी0सी0 के कर्मियों ने अवरूद्ध मार्ग (खाई) को पुनः भरकर परिवहन कार्य आम्रपाली खदान से शिवपुर रेलवे साईडिंग के लिए चालू कर दिया। अतः दिनांक–25.09.2021 को मे0 आर0के0टी0सी0 के कर्मियों के विरूद्ध जुर्म प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में भेजा गया है। संप्रति उक्त वनभूमि होकर कोयला का परिवहन कार्य बंद है। यह मामला सम्प्रति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन (जन हित याचिका) के रूप में दायर है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर वन विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–144/2021– 3609   रा0प0, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप, सं0–2414, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अन्तर्गत छत्तरपुर अंचल के विजय स्टोन (रामगढ़) आशीर्वाद कन्स्ट्रक्शन कंपनी (अर्जुनडीह), गौतम इंटरप्राईजेज (अर्जुनडीह), गोविंद कंस्ट्रक्शन (मसीहानी चमरडीहा), पीपरा अंचल के रिद्धि–सिद्धि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट (चपरवार) गोविंद कंस्ट्रक्शन (मड़वा) तथा हरिहरगंज अंचल के गौतम इंटरप्राइजेज (रामपुर) के द्वारा व्यापक मात्रा मे पत्थर का अवैध भंडारण कर क्रशिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है,	अस्वीकारात्मक। वर्णित सभी इकाईयों का Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अंतर्गत Minerals Dealer Registration स्वीकृत है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 मे वर्णित पत्थर क्रशिंग फर्म मे खनिज की प्राप्ति, उत्पादन प्रेषण एवं अवशेष की गणना सिर्फ JIMMS Portal पर ऑनलाइन किया जाता है, जबकि ग्राउण्डट्रुथिंग एवं स्थलीय जाँच नहीं होने के कारण पत्थर के स्टॉक की सही गणना नहीं हो पाती है, फलस्वरूप पत्थर के अवैध भंडारण एवं प्रेषण अनवरत किया जाता रहा है,	वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित सभी Mineral Dealer के खनिज भंडार पंजी से मासिक विवरणी मे अंकित खनिज के प्राप्ति उत्पादन–प्रेषण एवं अंतिम अवशेष का JIMMS Portal के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापन किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि जिला खनन पदाधिकारी, पलामू के पत्रांक–1056/एम, दिनांक–04.09.2021 के द्वारा छत्तरपुर अंचल के बगैया स्टोन माइंस का जब तक सेक्शन मेजरमेंट नहीं हो जाता है तब तक उत्पादन–प्रेषण के कार्य पर रोक लगा दिया गया है, परन्तु अभी तक बगैया स्टोन माइंस का सेक्शन मेजरमेंट नहीं कराया गया है;	जिला खनन कार्यालय, पलामू के पत्रांक–1056/एम0, दिनांक–04.09.2021 द्वारा छत्तरपुर अंचल के बगैया स्टोन माईन्स का सेक्शन मेजरमेंट नहीं हो जाता है तब तक उत्पादन–प्रेषण के कार्य पर रोक लगा दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, पलामू के द्वारा दिनांक–06.10.2021 को खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। पट्टा क्षेत्र मे उत्पादन–प्रेषण का कार्य बंद पाया गया, परन्तु खनन पट्टा क्षेत्र मे काफी पानी भरा रहने के कारण खनन पट्टा का सेक्सन मेजरमेंट का कार्य नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ मे पट्टाधारी को पट्टा क्षेत्र मे भरे हुए पानी को अविलंब खाली कर जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचित करने हेतु उक्त कार्यालय का पत्रांक–1216/एम0, दिनांक– 09.10.2021 द्वारा निदेशित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 मे वर्णित पत्थर क्रशिंग फर्म का ग्राउण्डट्रुथिंग एवं स्थलीय जाँच कर पत्थर का स्टॉक तथा स्टॉक रजिस्टर एवं मंथली रिटर्न का मिलान एवं बगैया स्टोन माइंस का सेक्शन मेजरमेंट कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डो मे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–117/2021 2554 /एम0, राँची, दिनांक– 19.12.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2242 दिनांक–10.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

माननीय स०वि०स० श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०– ज–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	यह बात सही है, कि वर्ष 2007 में लगभग 80 लाख रूपये की लागत से पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडलीय मुख्यालय में सिंचाई विभाग के अतिथिशाला का निर्माण की स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अतिथिशाला का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडलीय मुख्यालय में अर्धनिर्मित सिंचाई के अतिथिशाला को पूर्ण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार उपलब्ध निधि के आलोक में निर्माण कार्य पूरा करने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 6342   राँची, दिनांक– 17/12/21

प्रतिलिपि – उप अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं०–2243, दिनांक–10.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

(69)

श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि लोहरदगा, गुमला जिले में सेरेंगदाग, गुरदुरी, कुजाम, अम्लीपानी, क्षेत्र में हिंडालको कम्पनी द्वारा बॉक्साइट खनन कार्य किया जा रहा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है, कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति एवं आदिम जनजाति की भूमि है, जहाँ खनन कार्य किया जा रहा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है, कि इन खनन क्षेत्रों में हिंडालको कम्पनी बाहर के बड़ी–बड़ी फर्मो को खनन कार्य आऊट सोर्सिंग के माध्यम से दिया गया;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	क्या यह बात सही है, कि खनन कार्य हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि लेने में घोर अनियमितता बरती गई है, जिससे अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति छिन्न–भिन्न हो गई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। हिण्डालको प्रबंधन लोहरदगा के पत्रांक–297, दिनांक–05.10.2021 द्वारा जिला खनन कार्यालय, गुमला को सूचित किया गया है कि रैयतों से भूमि अधिग्रहण का कार्य CNT Act के प्रावधानानुसार उपायुक्त की अनुमति से किया जाता है। रैयतों के साथ भूमि का लीज एग्रीमेंट बनाया जाता है तथा एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार Compensation (मुआवजा) एवं अन्य सुविधाएँ दी जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हिंडालको कम्पनी द्वारा खनन कार्य में विस्थापित प्रभावितों को रोजगार एवं पुनर्वास मुहैया कराने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा कंडिका–4

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–119/2021 2579 /एम0, राँची, दिनांक– 19.12.2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2423 दिनांक–13.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(70)

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–04

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में अब DMFT फंड से सम्बंधित गवर्निंग कौंसिल और मैनेजिंग कमिटि में स्थानीय सांसद एवं विधायकों को सदस्य बनाने से सम्बंधित आदेश केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No.[illegible]/9/2017-M.VI दिनांक–02.11.2017 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कहना है कि झारखण्ड गजट सं0–854 दिनांक–07.12.2015 एवं विभागीय पत्रांक–2924 दिनांक–21.12.2017 द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद (Governing Counsel) में स्थानीय सांसद, विधायक एवं उनके प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित है।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्य में सरकार को पिछले छः वर्षों में DMFT फंड मद में कुल–7693 करोड़ रूपये राशि प्राप्त हुई है जिसमें सिर्फ हजारीबाग जिले में 250 करोड़ रूपये राशि उक्त मद में है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य अन्तर्गत डी०एम०एफ०टी० फंड में अब तक कुल लगभग 7676.65 करोड़ रूपये की राशि जमा हुई है जिसमें हजारीबाग जिले में अबतक कुल 358.90 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त राशि से कुल 96.16 करोड़ रूपये व्यय होने की सूचना प्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है, कि राज्य में अबतक उक्त राशि से ली जानेवाली जनहित योजनाओं के चयन में कोई मापदंड का निर्धारण नहीं होने के कारण अभी हाल–ही में हजारीबाग जिले में उक्त राशि से ली गई योजनाओं के चयन में हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के साथ सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है जो जाँच का विषय है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एवं जिला खनिज फाउण्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2016 क्रमशः झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या–854, दिनांक–07.12.2015 एवं अंक संख्या–218, दिनांक–23.03.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाओं के चयन, वार्षिक योजना का अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष से राशि विमुक्ति की शक्ति, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित प्रावधान सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित राशि से ली जानेवाली योजनाओं के चयन में पारदर्शिता के साथ–साथ एक निर्धारित मापदंड का अनुपालन कर खण्ड–02 में वर्णित विधान सभा क्षेत्र में भी उक्त राशि से योजनाओं का चयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–121/2021 2562/एम0, राँची, दिनांक– 19-12-2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 [illegible] दिनांक [illegible].12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(71)

2350
20/12/2021

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि–02

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड में चौधरीबांध, पोखरिया, डोरियो, दोंदलो, देवराडीह, मुंडरो, तुकतुको तथा सरिया प्रखंड में केशवारी, करनोडीह, कसियाडीह, कैलाटांड, बोगोडीह एवं बिरनी प्रखंड में कपिलो, दलांगी, रूपायडीह, सारंडा, खरीडीह में उच्च विद्यालय कार्यरत हैं,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालयों में अब तक मॉडल भवन की स्वीकृति नहीं हुई है, जिससे छात्रों को परेशानी होती है,	अस्वीकारात्मक। उक्त सभी विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं। उत्क्रमण के फलस्वरूप सभी विद्यालयों में वर्ग 9 एवं वर्ग–10 की पढ़ाई इन विद्यालयों में प्रारंभ हुई। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इन विद्यालयों मे पूर्व से उपलब्ध वर्ग कक्ष के अलावा अतिरिक्त वर्ग कक्ष स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में इन 17 विद्यालयों में से क्रमांक 8 को छोड़कर अन्य 16 विद्यालयों में नामांकन के सापेक्ष छात्रों के लिए पर्याप्त वर्ग कक्ष उपलब्ध है। विद्यालयवार उपलब्ध वर्ग कक्षों की संख्या निम्नांकित है :– (तालिका नीचे देखें)
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त विद्यालयों में क्रमांक 8 को छोड़कर अन्य सभी 16 विद्यालयों में नामांकन के सापेक्ष प्रति 40 बच्चों के लिए 1 वर्ग कक्ष उपलब्ध है।

क्र.	प्रखण्ड	विद्यालय का नाम	कुल नामांकन			विद्यालय में उपलब्ध कुल वर्ग कक्ष
			वर्ग–1 से 8	वर्ग–9 से 10	वर्ग–1 से 10	
1	BAGODAR	UPG GOVT HS TUKTUKO	188	87	275	10
2	BAGODAR	UPG GOVT HS MUNDRO	182	93	275	16
3	BAGODAR	UPG GOVT HS CHOUDHARI BANDH	304	79	383	14
4	BAGODAR	UPG GOVT HS DONDLO	451	192	643	20
5	BAGODAR	UPG GOVT HS DORIYO	177	39	216	9
6	BAGODAR	UPG GOVT HS POKHARIA	359	78	437	23
7	BAGODAR	UPG GOVT HS DEVRADIH	233	163	396	8
8	BIRANI	UPG GOVT HS DALANGI	256	475	731	8
9	BIRANI	GOVT. MS SARANDA	282	116	398	15
10	BIRANI	UPG GOVT HS KPILO	339	91	430	11
11	BIRANI	UPG GOVT HS KHARIDIH	169	0	169	4
12	BIRANI	UPG GOVT HS RUPAYDIH	147	190	337	11
13	SURIYA	UPG GOVT HS BAGODIH	364	307	671	20
14	SURIYA	UPG GOVT HS KESWARI	309	349	658	20
15	SURIYA	UPG GOVT HS KARNODIH	235	115	350	13
16	SURIYA	UPG GOVT HS KASIYADIH	248	103	351	11
17	SURIYA	UPG GOVT HS KAILATAND	312	135	447	30

(हस्ताक्षर)

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स. 01-127/2021 2350 / दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या –उत 02 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता डॉ0 इरफान अंसारी माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला अन्तर्गत पोड़ैयाहाट प्रखण्ड के चामुडीह ग्राम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरसो पूर्व से बनकर तैयार है परन्तु यहाँ पटन–पाठन का कार्य नहीं हो रहा है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संस्थान में पठन–पाठन का कार्य अविलंब प्रारंभ कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोड़ैयाहाट (गोड्डा) IRB द्वारा अतिक्रमित है। निदेशालय पत्रांक–924, दिनांक–24.08.2021 द्वारा Indian Reserve Battalian के नियंत्रण से भवन को मुक्त कराने हेतु उपायुक्त, गोड्डा को पत्र प्रेषित किया गया है। सरकार के सचिव कार्यालय पत्रांक–1281 दिनांक–17.11.2021 द्वारा CRPF एवं IRB अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु महानिदेशक, महानिदेशालय प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पत्राचार की गयी है। TSP को आवंटित उक्त संस्थान अतिक्रमण से मुक्त होते ही Visionary Knowledge & Management Service (P) Ltd. Modi Compound, Sati Mandir Lane, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand-834001 द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–22/2021श्र0नि0–1514 राँची, दिनांक–17/12/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2236, दिनांक–10.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्त्तार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Shiv Shakti\Vidhan Sabha\Shiv\05-22-2021 T.docx

73

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या उ0–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में पथरगामा प्रखण्ड के ग्राम–पंचायत–कोरका अन्तर्गत विद्युत सब–स्टेशन, सड़क आवागमन, जल स्त्रोत के लिए नदी, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि उपलब्ध है, जो फुड प्रासेसिंग प्लांट की स्थापना की सारी अहर्ताएँ पूर्ण करता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड के विभिन्न जिलों मे फुड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की कार्य योजना प्रस्तावित है;	स्वीकारात्मक। असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises" (FME) के तहत वित्तीय वर्ष 2020–2021 से 2024–2025 तक राज्य भर में कुल–5,465 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु सहयोग देने का लक्ष्य है। समानुपातिक रूप से सभी जिलों में उक्त अवधि में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार प्रखण्ड–पथरगामा ग्राम–पंचायत–कोरका में जमीन अधिग्रहण कर या P.P.P मोड पर फुड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार निजी उद्यमियों के द्वारा उद्योग स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है। उक्त क्षेत्र में निजी उद्यमियों के द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–54 / 2021 1276 / राँची, दिनांक:– 20/12/2021
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2431 दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
सरकार के अवर सचिव

74

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड निरसा के पोद्दारडीह स्थित रानी तालाब, पाण्ड्रा स्थित कपिलेश्वर मंदिर तथा प्रखण्ड केलियासोल के पतला–बाड़ी पंचायत के लंधुरघुटु गाँव स्थित माँ झोरबुड़ी गरमकुण्ड तथा दलदली आश्रम अवस्थित है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त स्थलों के आस–पास घना जंगल, प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त तथा ऐतिहासिक व प्राचीन स्थल व मंदिर है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त स्थल पर माघ महीने (झोरबुड़ी गरमकुण्ड) में मेला व जतरा का आयोजन तथा अन्य स्थल पूजा–पाठ व आस्था का स्थल है तथा दर्शनीय है;	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्राकृतिक से भरे गर्मकुण्ड, मंदिर, तालाब तथा आश्रम को पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नाधीन स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति से विभाग को अनुशंसा प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/130/2021 2025 /राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2459/वि०स०, दिनांक–14/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

76

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2435
20-12-21

श्री मनीष कुमार जायसवाल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य शिक्षा परियोजना को 30 करोड़ रुपये राशि सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए एवं +2 उच्च विद्यालयों के लिए 40 करोड़ रुपये राशि का आवंटन उक्त विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए दिया गया है, परन्तु सरकार अब तक उक्त राशि से पुस्तकों का क्रय नहीं की है;	आंशिक स्वीकारात्मक। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में पुस्तकालय के लिये प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों हेतु रू0 21.39 करोड़ एवं माध्यमिक तथा +2 विद्यालयों हेतु रू0 3.96 करोड़ स्वीकृत थी। राज्य स्तरीय चयन समिति से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन संस्थान, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.) एवं ट्राईबल शोध संस्थान, राँची इत्यादि संस्थानो से पुस्तकों का क्रय किया गया है। वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.) द्वारा पुस्तके विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गयी है। शेष संस्थानों द्वारा आपूर्ति दिसम्बर, 2021 के अंत तक किया जाना प्रस्तावित है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों में लाईब्रेरियन का पद रिक्त है और उक्त पदों पर सरकार द्वारा अब तक नियुक्ति नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के विद्यालयो में लाईब्रेरियन का पद स्वीकृत नही है।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–02 में वर्णित पदों के रिक्त रहने के कारण राज्य के सभी विद्यालयों के पुस्तकालयों में पुस्तकों को संधारित नहीं की जा रही है, जिसके कारण राज्य गठन से अब तक करोड़ों रुपये राशि से खरीदी गई पुस्तकें संधारित नहीं है, जिसका लाभ छात्र–छात्राओं को नहीं मिल रही है;	अस्वीकारात्मक। विद्यालयों के पुस्तकालय के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में मनोनीत किया गया है। विद्यालय में पुस्तकालयों के प्रभावी संचालन हेतु मार्गदर्शिका विकसित की गयी है। विद्यालयों में पुस्तकालयों में पुस्तकों के संधारित करने की व्यवस्था की गयी है तथा इसके अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन लाईब्रेरी प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी विद्यालयों में लाईब्रेरियन के रिक्त पदों पर चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्ति पर विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–2 एवं 3 में स्पष्ट कर दी गई है।

अनुमोदित
ह०/अ०
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 2435 /राँची, दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2405, दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 20/12/21

सरकार के अवर सचिव

(77)

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि किसी खदान से उत्खनित कोयला को लीज क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए सरकार के जिम्स पोर्टल से निर्गत वैद्य माईनिंग चालान होना आवश्यक परन्तु राज्य के विभिन्न खदानों से बगैर वैध माइनिंग लाइसेंस के ही कोयला को प्रेषित किया जा रहा है,	झारखण्ड राज्यान्तर्गत कोयला खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कोयला खनिज का परिवहन The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम–9(1) के तहत JIMMS Portal से निर्गत होने वाले ई0–परिवहन चालान के माध्यम से किया जाता है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जांचोपरांत अवैध परिवहन करनेवालों तथा वन भूमि अपयोजन के बगैर परिवहन करने वालो को चिन्हित कर दंड दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड मे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–124/2021 2581/एम0, राँची, दिनांक– 19.12.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2469, दिनांक–14.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/21
सरकार के उप सचिव

78

श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के गोविन्दपुर पंचायत के ग्राम भठबिगहा में बद्री पासवान के द्वारा अवैध खनन करके पत्थर निकाला जा रहा है;	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण थाना के मौजा भठबिगहा में श्री बद्री पासवान द्वारा किये गये अवैध खनन के बावत जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक–969, दिनांक–04.10.2019 द्वारा चौपारण थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो अनुसंधान अन्तर्गत है। साथ ही अवैध खनन के बावत उत्खनित मात्रा के विरूद्ध खनिज मूल्य की दुगुनी राशि की दर से 29,70,171.00 रूपया एवं दिनांक–30.09.2021 तक ब्याज के मद में 14,25,682.00 रूपया कुल 43,95,853.00 रूपया की वसूली हेतु नीलाम पत्र मुकदमा संख्या–05/21–22 दायर किया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि कोडरमा जिला के ग्राम पुरनाडीह में भठबिगहा के बगल में अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के ही क्रेसर चल रहा है;	कोडरमा जिलान्तर्गत चन्दवारा अंचल के ग्राम–पुरनाडीह एवं हजारीबाग जिलान्तर्गत पुरनाडीह में भठबिगहा में अवैध क्रशर संचालन की सूचना नहीं है।
3	क्या यह बात सही है, भठबिगहा में संचालित क्रेसरों में ना ही चाहरदिवारी है ना ही उनके द्वारा नियमित पानी का छिड़काव एवं ना ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है;	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण थाना के मौजा भठबिगहा में कुल 01 क्रशर मशीन/पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत है, जिसका निरीक्षण समय–समय पर की जाती है। निरीक्षण के क्रम में आंशिक रूप से चाहरदीवारी एवं वृक्षारोपण पाया गया है। प्रदूषण की रोकथाम हेतु CTO के शर्तों के अनुपालन के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग द्वारा निदेशित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन क्रेसर संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिलास्तरीय गठित खनन टास्क फोर्स द्वारा जिलान्तर्गत अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन की रोकथाम हेतु समय–समय पर औचक निरीक्षण कर नियम संगत कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–120/2021 2585 /एम०, राँची, दिनांक– 19-12-2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2422 दिनांक–13.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/21
सरकार के उप सचिव

79

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग के वृहद, मध्य एवं लघु सिंचाई द्वारा निर्मित योजनाओं से 29.74 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का मात्र 38.43 प्रतिशत भूमि तक ही सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है ;	जल संसाधन विभाग के वृहद मध्य एवं लघु सिंचाई द्वारा निर्मित योजनाओं से झारखंड राज्य अंतर्गत कुल 33.62 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि सिंचन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई प्रमंडल गोड्डा द्वारा महागामा विधान-सभा अंतर्गत ठाकुरगंगटी, मेहरमा, महागामा प्रखंड के क्रमशः 2,2,3 कुल सात योजना का प्राक्कलन पत्रांक-546 दिनांक-24.09.2021 द्वारा भेजा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्न में उल्लेखित महागामा प्रखंड की दो अदद् योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के हित में वर्णित योजना का क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा शेष पांच अदद् योजनाओं के प्राक्कलन की जांच की जा रही है। योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के उपरांत बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए योजना के निर्माण का निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-ता०-81/2021 6341/ राँची, दिनांक- 17/12/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-.... दिनांक-........ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(80)

2355
20/12/2021

श्री निरल पूरती, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-11

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर स्थित मॉडल स्कूल में मात्र दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मॉडल स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मॉडल स्कूल, तांतनगर, पश्चिमी सिंहभूम में शिक्षकों की सभी स्वीकृत पदों पर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	(1) पूर्व में यह मॉडल स्कूल, तांतनगर राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, चिटिमिटि के भवन में संचालित था, जिसमें 6 से 10 तक की कक्षाएं भी संचालित थी। मॉडल स्कूल, तांतनगर में नामांकित 142 बच्चों के लिए उक्त विद्यालय के नियमित शिक्षकों द्वारा भी कक्षाओं का संचालन किया जाता रहा है। (2) दिनांक 24.09.2021 को मॉडल स्कूल, तांतनगर अपने नव निर्मित भवन में स्थानांतरित हुआ है, जिसमें वर्तमान में दो घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत हैं। (3) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 1261 दिनांक 20.12.2021 द्वारा गणित/भौतिकी एवं हिन्दी के 01-01, कुल 02 नियमित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रतिनियोजित भी किया गया है। (4) मॉडल विद्यालयों के लिए राज्य सरकार के संकल्प संख्या 777 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा 11 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, एक प्राचार्य एवं एक उप-प्राचार्य सहित कुल 13 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। वर्त्तमान में झारखण्ड मॉडल विद्यालय नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स. 01-137/2021 2355 / दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-05 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय अन्तर्गत 98 लाख रूपये की लागत से महिला महाविद्यालय विगत छः (6) वर्षों से बनकर तैयार है परन्तु आजतक स्वतंत्र रूप से महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ नहीं हो पायी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु पूर्व से निर्मित महिला महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन की मरम्मति एवं चहारदीवारी, नाला, गेट इत्यादि के निर्माण हेतु कुल 58,28,200/-रू0 आवंटित की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य हेतु कला संकाय में जितने विषयों की पठन-पाठन हेतु सूची तैयार की गयी है, उनमें से मात्र तीन-चार विषयों के शिक्षकों का ही पद सृजन की गयी है, जबकि विज्ञान संकाय अन्तर्गत विषयों के लिए शिक्षकों का पद सृजन ही नहीं की गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। महिला महाविद्यालय, साहेबगंज में कला संकाय में 09 पद, वाणिज्य संकाय में 03 पद, व्यावसायिक शिक्षा संकाय में 05 पद, कुल 17 पदों का सृजन किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण महाविद्यालय के रख-रखाव के अभाव में भवन जीर्णशीर्ण होती जा रही है;	अस्वीकारात्मक। महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य चल रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला मुख्यालय अन्तर्गत निर्मित महिला महाविद्यालय भवन में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों का पूर्णरूपेण पद सृजन कर स्वतंत्र रूप से अविलम्ब शैक्षणिक व्यवस्था प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 एवं 3 में निहित है

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि0स0-37/2021 1776 / रांची, दिनांक- 20/12/2021 /

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2397 दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(82)

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के घाटशिला प्रखण्ड के कालचिति पंचायत स्थित बासाडेरा में धारा गिरी झरना, पर्यटन स्थल अवस्थित है, जहाँ आऐ दिन काफी संख्या में राज्य से तथा अन्य राज्यों के पर्यटक आते है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने सभी पर्यटन स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार तथा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–01 में वर्णित पर्यटक स्थल तक लगभग–01 कि०मी० आने–जाने का रास्ता नही है, जिससे पर्यटकों को उक्त स्थल तक आने–जाने में काफी कठिनाई होती है;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित स्थल को प्राथमिकता के तौर पर चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पथ को बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नाधीन स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिशूचित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति से विभाग को अनुशंसा प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/131/2021 2024 /राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2458/वि०स०, दिनांक–14/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

(83)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
श्रीमती पुष्पा देवी
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के 21 जिलों में धान क्रय का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा शेष तीन जिलों पलामू, गढ़वा एवं चतरा में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया गया;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय खाद्य निगम के लिए तीन जिले में 1,60,000 मे० टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित था जबकी लक्ष्य के विरूद्ध 1,68,752.72 मे० टन धान क्रय दिखाया गया जो विभागीय पदाधिकारियों एवं बिचौलियों के मिलीभगत को दर्शाता है;	धान अधिप्राप्ति से संबंधित ई–उपार्जन पोर्टल के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा तीन जिलों (पलामू, गढ़वा एवं चतरा) में निर्धारित लक्ष्य 1,60,000 मे०टन के विरूद्ध 1,68,752.71 मे०टन धान की खरीद की गयी जो न्यूनतम लक्ष्य का 105 प्रतिशत है।
(3) क्या यह बात सही है कि सिर्फ पलामू जिले में 17 हजार किसान निबंधित है एवं निबंधन के समय ही किसानों को आई०डी० अलॉट किया जाता है फिर भी प्रखण्डवार किसानों के धान का क्रय न कर बाहरी किसानों का धान क्रय किया गया एवं जिस केन्द्र पर भण्डारण की क्षमता 5–6 हजार क्विंटल है वहीं पर बिचौलियों के द्वारा 80–90 क्विंटल धान क्रय दर्शाया गया है;	धान अधिप्राप्ति से संबंधित ई–उपार्जन पोर्टल के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा पलामू जिला में 10,920 किसानों से 88,087.31 मे० टन धान क्रय किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पलामू जिले हेतु क्रय धान की मात्रा ई–उपार्जन पोर्टल में प्रविष्ट मात्रा से 210.61 मे० टन अधिक है। इस संबंध में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा पत्रांक 4048, दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध भारतीय खाद्य निगम से किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित किया गया है कि जहां तक केन्द्र के भण्डारण क्षमता से अधिक धान खरीदने का प्रश्न है, यह इसलिए संभव है चूंकि धान खरीद के क्रम में कई बार धान केन्द्रों से धान को मिलरों के लिए निर्गत किया गया तथा काफी मात्रा में धान पी०ई०जी० नगड़ी–1 एवं 02 तथा एफ०एस०डी० डाल्टनगंज तथा पी०ई०जी० जपला में शिफ्ट किया गया, ताकि केन्द्रों में धान खरीद हेतु पुनः खाली जगह बनाई जा सके तथा धान खरीददारी निर्बाद्ध रूप से चल सके। मिलरों को धान निर्गत करने तथा धान शिपिंग के पश्चात् पुनः केन्द्रों पर धान खरीद किया गया एवं पुनः वैसे ही मिलरों को तथा गोदामों में धान जारी कर खाली किया गया। इसके अलावे किसानों के अत्यधिक दबाव के मद्देनजर कुछ केन्द्रों पर धान खरीददारी जब चरम पर था, ऐसे में धान खरीद कर खुले में भी रखना पड़ा। इन वजहों से, केन्द्रों के भण्डारण क्षमता से अधिक धान की खरीददारी की जा सकी। ऐसा करने के वजह से ही ज्यादा किसानों से धान खरीद संभव हो पाया तथा ज्यादा किसान भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत् लाभान्वित हो पाये।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के तीन जिलों में धान क्रय में हुए अनियमितता की जाँच उच्चस्तरीय समिति से कराकर वंचित किसानों को उचित मुआवजा देने एवं इसमें संलिप्त दोषी पदाधिकारियों एवं बिचौलियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–17/2021 3984 /राँची, दिनांक 20/12/21

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2420/वि०स०, दिनांक 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-08 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सप्तम वेतनमान का लाभ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों को ही दिया जा रहा है, जबकि शिक्षकेतर कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान देने पर विचार करने हेतु महाविद्यालयों का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 का अंकेक्षण (ऑडिट) कराया जाना है। महालेखाकार को ऑडिट करने हेतु अनुरोध किया गया है। कतिपय महाविद्यालयों में ऑडिट कार्य चल रहा है। ऑडिट प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षक एवं कर्मचारियों में भेद-भाव होने से सरकार के प्रति आक्रोश है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षकों के साथ ही शिक्षकेतर कर्मचारियों के सप्तम वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका-1 में निहित।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- 01/वि0स0-39/2021 1775 / रांची, दिनांक- 20/12/2021 /

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2465 दिनांक-14.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

85

2353
30/12/2021

श्री केदार हजरा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-09

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी सरकारी उच्च विद्यालय नहीं है।	आंशिक स्वीकारात्मक। देवरी प्रखण्ड में 06 सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 02 उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, 01 कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं 01 मॉडल विद्यालय के अतिरिक्त 02 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय संचालित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में निहित स्थान पर उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र-छात्राओं को करीब 10 कि०मी० की यात्रा कर उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि रामनाम +2 उच्च विद्यालय रामपुर घोरंजी, देवरी प्रखण्ड मुख्यालय से 07 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।
3	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय घोंसे, जो देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थिति है, उसे उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है।	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय घोंसे, देवरी को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके पत्रांक-2611 दिनांक 24.11.2021 द्वारा मध्य विद्यालय घोंसे देवरी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को भेजा गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या- 2748 दिनांक 18.11.2008 द्वारा मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा कर सरकार को अनुशंसा प्रेषित करने हेतु क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 1419 दिनांक 19.12.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में "प्रखण्ड मुख्यालय में उच्च विद्यालय नहीं रहने" के आधार पर इस विद्यालय के उत्क्रमण के संबंध में उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा की गयी है। अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स. 01-134/2021 2359 / दिनांक 20/12/2021,

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (5)

सरकार के अवर सचिव।

(86)

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड प्रखण्ड में लोध फॉल नामक जल प्रपात अवस्थित है जो अत्यंत ही रमणीक स्थल है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि यह जलप्रपात नेतरहाट से मात्र 40 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है इसका सौंदर्यीकरण नहीं होने एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं होने के कारण नेतरहाट आने वाले पर्यटकों मे से अधिकांश लोध फॉल नहीं जा पाते जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का अपेक्षित आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोध फॉल को विशेष पैकेज के तहत जल्द से जल्द सौदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	लोध फॉल का विकास वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के आलोक में किया जायेगा क्योंकि यह स्थल वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवस्थित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/123/2021 2030 /राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2411/वि०स०, दिनांक–13/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

87

पंचम झारखण्ड विधान सभा के सप्तम (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 21.12.2021 को श्री अमित कुमार मंडल, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अन्तर्गत कोई भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित नहीं है;	– स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि पथरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत, कोरका में प्लस–टू की पढ़ाई होती है, जहाँ तकनीकी कॉलेज खुलने के बाद छात्रों का कैरियर प्रोग्रेसन सहज सुलभ हो जायेगा।	– अस्वीकारात्मक। – All India Council for Technical Education (AICTE) के मानक के अनुसार तकनीकी शिक्षण संस्थान का परिसर अलग होता है। तकनीकी शिक्षण संस्थान प्लस टू (+2) विद्यालय के साथ नहीं खोला जा सकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य के रूप में तकनीकी शिक्षा देने हेतु ग्राम पंचायत कोरका में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– गोड्डा जिला मुख्यालय में एक पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की गयी है। जिसके संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखण्ड स्तर पर पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना का निर्णय नहीं है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0शि0–विधान सभा–03/2021– 1235 /राँची, दिनांक– 19.12.2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2400 दिनांक 13.12.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/12/2021

(सरकार के अवर–सचिव)

(44)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा दिनांक-16.11.2021 को पलामू जिले के अंतर्गत कुल मिलाकर 15 आहर एवं माध्यम सिंचाई योजनाओं की ई-निविदा आमंत्रित की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-3211 (S) दिनांक-05.06.2018 की निविदा नियमावली को अन्य विभागों द्वारा भी अपनाया गया है, तथा झारखंड पी०डब्लू०डी० कोड के अनुसार निविदा डालते समय परफॉमेन्स सिक्युरिटी (Performance Security) नहीं मांगी जाती है, जब निविदा प्राप्त हो जाए तब एकरारनामा करते वक्त परफॉमेन्स सिक्युरिटी (Performance Security) की मांग की जाती है ;	पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-3211 (S) दिनांक-05.06.2018 2.5 करोड़ रूपये से अधिक लागत के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु SBD के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन से संबंधित हैं। विषयांकित निविदाएँ 2.5 करोड़ से कम लागत राशि की है। इस कारण यह संकल्प इन निविदाओं पर लागू नहीं होता है। किसी भी निविदा में मांगे जाने वाले अग्रिम की राशि (Earnest Money) Performance Security होती है, जिसकी मांग निविदा आमंत्रित करने के समय ही की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा नियमों को ताक पर रखकर उपरोक्त निविदाओं में जानबूझकर कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से अन्य संवेदकों को इस बात से अनभिज्ञ रखकर निविदा डालते समय ही परफॉमेन्स सिक्युरिटी (Performance Security) की मांग की गई है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त निविदाओं को निरस्त करते हुए पुनः पी०डब्लू०डी० कोड के अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाने तथा दोषी कार्यपालक अभियंता पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। पथ निर्माण विभाग का संकल्प संख्या-3211 (S) दिनांक-05.06.2018 प्रश्नगत निविदाओं पर प्रभावी नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-ता०प्र०-79/2021 6348 / राँची, दिनांक- 17/12/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक- दिनांक- के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Dest\My documents\2021-22\Vidhan Sabha 21-22 Dec 2021\6_20_T_79_21_Dr Kushwaha sashibhushan mehta J_07.docx

(89)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड शिकारीपाड़ा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती / किसानी व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखंड शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम हिरापुर पंचायत हिरापुर का हिरापुर बांध का कैनाल टूट कर ध्वस्त हो गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बांध का केनाल टूट कर ध्वस्त होने के कारण किसानों का सैकड़ो एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जांच कराकर उपरोक्त हिरापुर बांध का नया कैनाल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	योजना जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहीं है। इसका निर्माण नब्बे के दशक में जिला योजना के अधीन जल छाजन योजना के अंतर्गत कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-8/ज०सं०वि०-20-तारां०-77/2021 6376 /   राँची, दिनांक- 17/12/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-.... दिनांक-........ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(90)

16

श्री कोचे मुण्डा, स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या- उत-04 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड के बानो में डिग्री कॉलेज, बानो का उदघाटन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल के द्वारा दिनांक-31.01.2021 को किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज के उदघाटन के बाद योग्य शिक्षकों की नियुक्ति एवं नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है, जिस कारण यहाँ के गरीब विद्यार्थी सिमडेगा एवं राँची जिला, जिसकी दूरी क्रमशः 50 एवं 100 कि॰मी॰ है, जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे इनका समय एवं पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। डिग्री महाविद्यालय, बानो में विद्यार्थियों का नामांकन लिया जा रहा है। घंटी आधारित शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस प्रकार इस महाविद्यालय में जल्द ही पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ हो जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डिग्री कॉलेज, बानो में शिक्षकों की नियुक्ति कर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका-2 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- 01/वि0स0-33/2021 1774 / राँची, दिनांक- 20/12/2021/

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2399 दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(91)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि महागामा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विष्णु दिन राधाकष्ण मंदिर, शिव मंदिर, पहाडी बाध कला मूर्ति, खरहरी मंदिर, भोड़ा बांध, बास्ता मंदिर भुस्का पहाड आदि स्थानों पर पूजा करने एवं दर्शन के उद्देश्य से श्रद्धालु हमेशा आते हैं;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की माँग श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता रहा है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित स्थानों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नाधीन स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति से विभाग को अनुशंसा प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/122/2021 2021 /राँची, दिनांक 20.12.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2419/वि०स०, दिनांक–13/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत प्रखण्ड सिल्ली में बहुउद्देशीय राढ़ु जलाशय योजना वर्ष 2010 से प्रस्तावित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राढ़ू जलाशय योजना के पूर्ण होने से 8900 हेक्टेयर भूमि सचित होगी,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राढ़ू जलाशय योजना को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का DPR तैयार हो गया है। DPR की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आलोक में इसके निर्माण हेतु निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–82/2021 – 6350 /राँची, दिनांक 17/12/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2468 वि०स० दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–03

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में कुम्हारों के उत्थान व सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2016 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित बोर्ड पिछले 02 वर्षों से पुर्नगठन की प्रतीक्षा में है जिसके कारण विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण शिल्पी समुदाय (कुम्हार) का विकास अवरूद्ध है;	अस्वीकारात्मक। बोर्ड स्तर से शिल्पी समुदाय (कुम्हार) के बीच पर्याप्त संख्या में विद्युत चाक, पगमील, जीगर जोली आदि मशीन उपकरणों का वितरण किया जा रहा है तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण भी निरंतर जारी है। बोर्ड के सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित है, अतएव वर्त्तमान में पुर्नगठन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित विषय पर माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–56/2021 1273 /राँची, दिनांक– 20/12/2021
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2433 दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
सरकार के अवर सचिव

पंचम झारखण्ड विधान सभा के सप्तम (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 21.12.2021 को श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अंतर्गत दुमका में तारामंडल का निर्माण कार्य 29.9950 करोड़ रूपये के लागत से वर्ष 2015 से शुरू किया गया था एवं दिसम्बर 2015 तक 5.75 करोड़ रूपये J.C.S.T राँची द्वारा विमुक्त किया गया तथा जून 2019 तक 80 प्रतिशत भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है व राशि के अभाव में शेष सभी कार्य लंबित है,	– आंशिक स्वीकारात्मक। दुमका तारामंडल का निर्माण कार्य भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की एजेन्सी Creative Museum Designers (CMD) जो National Council on Science Museum (NCSM) कोलकता का अंग है, के द्वारा की जा रही है। COVID-19 के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। उक्त के निमित्त निर्माण एजेन्सी द्वारा एकरारनामा के आलोक में की गयी अग्रिम राशि की मांग को PL खाता से निकासी कर भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है। तारामण्डल के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी को निदेशित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि J.C.S.T राँची के कार्यपालक निदेशक श्री जी0एस0पी0 गुप्ता को वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रमशः 20 करोड़ एवं 2019–20 में 10 करोड़ रूपये का आवंटन दिया गया था तथा श्री गुप्ता द्वारा शेष राशि 26,85,75,537 करोड़ रूपये दिनांक 29.10.2021 को कोषागार में जमा (Surrendered) कर दिया गया है,	– आंशिक स्वीकारात्मक। योजना–सह–वित्त विभाग का परिपत्र सं0–1680 दिनांक 07.09.2020 के आलोक में PL खाता की राशि को दो लगातार वित्तीय वर्ष से अधिक रखने का प्रावधान नहीं है। अतः Jharkhand Council on Science & Technology (JCST) के PL खाता में संधारित राशि को नियमानुसार सरकार के राजकोष में प्रत्यार्पित की जा चुकी है।
3.	क्या यह बात सही है कि J.C.S.T राँची के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को माह सितंबर 2021 से अबतक वेतन भुगतान भी नहीं किया है,	– अस्वीकारात्मक। वेतन भुगतान कर दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विकास विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी प्रभारी कार्यपालक निदेशक को तत्काल निलंबित करते हुए निर्माणाधीन दुमका तारामंडल के अपूर्ण कार्य को पूरा करने तथा कर्मियों को वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. प्रभारी कार्यपालक निदेशक इसके लिए दोषी प्रतीत नहीं होते है। Covid-19 एवं परिस्थिति जन्य अन्य कारणों से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। 2. उत्तर कंडिका–1. में सन्निहित है। 3. JCST में कार्यरत सभी कर्मियों को माह नवम्बर 2021 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0शि0–विधान सभा–02/2021– 1236 /राँची, दिनांक– 19.12.2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2400 दिनांक 13.12.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/12/2021

(सरकार के अवर–सचिव)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–वन–03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्व–मध्य रेलवे, धनबाद मंडल के मार्शलिंग यार्ड, सिन्दरी रेलवे साईडिंग को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/स्वीकृति नही मिलने के बावजूद कोयला तथा अन्य प्रदूषण जनित सामग्री के उठाव की वस्तुस्थिति तथा प्रदूषण नियंत्रण मानको की जाँच दिनांक–27.03.2021 को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–600, दिनांक–10.03.2021 द्वारा विभागीय स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि पर्षद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/स्वीकृति नहीं मिलने के पश्चात् भी कोयला तथा अन्य प्रदूषण जनित सामग्री के उठाव जारी रहने के कारण आस–पास के ग्रामीण प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर हैं;	इकाई को पर्षद से संप्रति अनापत्ति प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। यह इकाई प्रदूषण मानकों की श्रेणी में ग्रीन केटेगरी (कम प्रदूषण) में आता है। इकाई द्वारा प्रदूषण की रोकथाम हेतु मार्शलिंग यार्ड के पूरब एवं दक्षिण दिशा में ग्रीन नेट का निर्माण किया गया है एवं वाटर टैंकर के माध्यम से मैन्युली पानी का छिड़काव किया जाता है। इकाई ने अनापत्ति एवं संचालन सहमति आदेश हेतु आवेदन किया है जो प्रक्रिया के अंतर्गत है।
3. क्या यह बात सही है, कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार खण्ड–1 में वर्णित रैक लोडिंग प्वाईंट पर रेलवे द्वारा जल छिड़काव हेतु स्प्रीकलर का अधिष्ठान, सड़क निर्माण चाहरदीवारी का निर्माण, वृक्षारोपण सहित अन्य मापदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;	इकाई द्वारा बिना अनुमति के कार्य किये जाने आदि कारणों से पर्यावरण क्षति के रूप मे 4,30,000/– रू० (चार लाख तीस हजार रूपये) का दण्ड जमा किया गया है। पर्षद द्वारा इकाई को निदेश दिया गया है कि जबतक पर्षद द्वारा संचालन सहमति प्रदान नही किया जाता, तब तक वे कार्य बन्द रखें। संप्रति वहाँ कार्य बन्द है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रेलवे साईडिंग से कोयला तथा अन्य प्रदूषण जनित सामग्रियों के उठाव पर तत्काल रोक लगाते हुए संबंधित एजेंसी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक– 5/वि०स० तारांकित प्रश्न-146/2021-3603 व०प०, दिनांक-20/12/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2416, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(96)

श्री लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–वन–02 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हाथी, बाघ, भालू, चिता एवं अन्य जंगली जानवरों से मारे गये लोगों को वन विभाग द्वारा 4,00000/– रूपया भुगतान किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही है कि सियार, जंगली सुअर एवं मधुमक्खी एवं अन्य छोटे जंगली जानवरों के काटने से मृत व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान नहीं किया जाता है जबकि प्रतिवर्ष पूरे राज्य में इस तरह के दर्जनों मामले आते हैं जिसमें मृतक के आश्रितों को भुगतान नहीं किये जाने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; 3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सियार, जंगली सुअर एवं मधुमक्खी के काटने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। जंगली जानवर (Wild Animal) वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित है। उक्त परिभाषा के अनुसार जंगली जानवर वैसे जानवर हैं जो अधिनियम के अनुसूची–I से IV में वर्णित हों तथा प्रकृति से Wild में पाए जाते हों। सियार (Common Fox) अधिनियम की अनुसूची II में तथा जंगली सुअर (Wild Pig) अनुसूची–III में अंकित है। अतः इन जानवरों से जान–माल की क्षति के विरूद्ध मुआवजे का भुगतान सरकार के संकल्प के अनुसार भुगतेय है परंतु मधुमक्खी जंगली जानवर के रूप में अनुसूची में दर्ज नहीं है, इसलिए इससे जान–माल की क्षति के विरूद्ध मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० तारांकित प्रश्न–145/2021– 3602 व०प०, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2415, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

97

2354
20/12/2021

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-10

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, काटमकुल्ली, तिरला, बडकी पुन्नू, लावालोंग, कुर्कनालो, हुरलुंग, मधुकरपुर एवं बरईकला को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं होने से हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है,	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-2748 दिनांक 18.11.2008 के द्वारा प्रत्येक 07-08 कि०मी० की परिधि पर +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। पुनः विभागीय पत्रांक 1471 दिनांक 15.09.2020 के शर्त्तानुसार "जिस विद्यालय को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की अनुशंसा की जानी हो, उसके 07-08 कि०मी० की परिधि में (पोषक क्षेत्र) कम से कम 03 माध्यमिक विद्यालय का होना आवश्यक है"। प्रश्नांकित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, काटमकुल्ली, तिरला, बडकी पुन्नू, लावालोंग, कुर्कनालो, हुरलुंग, मधुकरपुर एवं बरईकला, विभागीय अधिसूचना संख्या-2748 दिनांक 18.11.2008 एवं विभागीय पत्रांक 1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा निर्धारित नीति अनुरूप अहर्त्ता प्राप्त विद्यालय अन्तर्गत नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-01 में उत्तर सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स. 01-131/2021 2354 / दिनांक 20/12/2021 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(38)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–शि0–03

क्र.	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है, कि जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग तथा जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा का पद विगत 1 वर्ष से अधिक समय से रिक्त है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि इन पदों पर राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है। वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के स्वीकृत 170 पदों के विरूद्ध मात्र 76 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं, जिसमें से 35 नवनियुक्त पदाधिकारी हैं जो अभी परीक्ष्यमान अवधि में ही हैं। पर्याप्त कार्यबल नहीं रहने के फलस्वरूप कार्यकारी व्यवस्था के तहत् वर्तमान में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है एवं इस निमित्त कार्यों का सम्पादन उनके द्वारा ही किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा का प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा को प्रदान किया गया है जो कार्यों का सम्पादन कर रहे हैं।
2.	क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त पदों पर स्थायी पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण कार्यों के निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में जिला अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग तथा जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा सहित राज्य के सभी रिक्त पड़े जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के पदों पर पदाधिकारियों को पदस्थापित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा उक्त पदों पर नियमित पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / वि02–02 / 2021 2535

राँची, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञापांक–2401 दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(93)

24-80
30-12-21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–05

क्र.सं	विधानसभा प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-2017 में राज्य में झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई एवं तत्काल बिना भवनों के स्कूल खोल दिया गया तथा छात्राओं का नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ कराते हुए अस्थायी तौर पर जिले में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में बच्चों को आवासीय व्यवस्था के तहत रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी?	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित 54 स्कूल भवनों में 40 स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका कुल लागत 484 करोड़ रुपये है?	अस्वीकारात्मक । 1. भवन निर्माण का कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है । स्कूल भवनों का निर्माण की प्राक्कलित राशि प्रति विद्यालय 441.00 लाख है। निगम द्वारा दिनांक 30.11.2021 तक का उपलब्ध कराया गया अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कुल 21 भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है जिसमें 18 भवन विभाग को हस्तगत किया गया है एवं 3 पूर्ण भवन हस्तगत नहीं किया गया है तथा 33 विद्यालयों का कार्य प्रगति पर है। 2. पूर्ण भवनों में से 05 स्थलों पर जहाँ झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय नये भवनों में संचालित है कि सूची निम्नवत– i. जे.बी.ए.वी. हेरहंज जिला लातेहार ii. जे.बी.ए.वी. करमाटॉड़ जिला जामताड़ा iii. जे.बी.ए.वी. फतेहपुर जिला जामताड़ा iv. जे.बी.ए.वी. बसंतराँय जिला गोड्डा v. जे.बी.ए.वी. सरिया जिला गिरिडीह 3. अन्य पाँच पूर्ण भवन जिनमें संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है कि सूची निम्नवत है– i. जे.बी.ए.वी. इटकी जिला राँची ii. जे.बी.ए.वी. राहे जिला राँची iii. जे.बी.ए.वी. लापुड़ी जिला राँची iv. जे.बी.ए.वी. सोनारायथाड़ी जिला देवघर v. जे.बी.ए.वी. मारगोमुंडा जिला देवघर इन सभी 5 भवनों को 31 दिसम्बर 2021 तक सभी संसाधन उपलब्ध कराकर विद्यालय संचालन नये भवन में प्रारंभ कर दिया जायगा।

3	क्या यह बात सही है कि कस्तूरबा विद्यालय जहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे है, बच्चों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उक्त विद्यालय की शिक्षण एवं आवासीय व्यवस्था चरमरा गयी है?	अस्वीकारात्मक । 1. झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालयों को उन्नत संरचना वाले कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में ही स्थानांतरित किया गया है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्था करने के उपरांत ही झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालयों को स्थानांतरित किया गया है। इन विद्यालयों में अतिरिक्त आवासन एवं शिक्षण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। 2. जैसे जैसे झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय भवनों का कार्य पूर्ण हो रहा है वैसे वैसे इन विद्यालयों को नये भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है। 3. झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए विद्यालय भवन में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने तथा विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का पद स्वीकृत करते हुए इन रिक्त पदों पर नियुक्ति पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 10 पूर्ण भवनों के लिए आवश्यक संसाधन हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण होने वाले 25 भवनों के संसाधन के लिए राशि का बजट प्रावधान किया जा रहा है । 2. वर्तमान में इन विद्यालयों में 170 अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकायें कार्यरत हैं तथा शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3. सभी झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालयों में नामांकित छात्राओं का शैक्षणिक वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में माध्यमिक का परीक्षाफल क्रमशः 85.17 तथा 99.81 प्रतिशत है । जो विद्यालय अपने भवन में संचालित है उन विद्यालयों के छात्राओं का परीक्षा परिणाम 2019-20 में 79.37 प्रतिशत एवं 2020-21 में 100 प्रतिशत है। अन्य विद्यालयों में संचालित झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालयों के छात्राओं का परीक्षा परिणाम 2019-20 86.21 एवं 2020-21 में 99.79 प्रतिशत है ।

अरुण सिंह 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-75/2021 ...2430.........../राँची, दिनांक 20...../12../2021
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2403, दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

अरुण सिंह 20/12/21
सरकार के अवर सचिव

(100)

2352
20/12/2021

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि–06

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता–2016 में चयनित अभ्यर्थियों को अधिकांश जिलों में नियुक्ति कर दी गई है,	आंशिक स्वीकारात्मक। अलग–अलग विषय की जिलावार नियुक्ति का Status एक समान नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए 08 अनुसूचित जिलों तथा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसांवा, खूँटी, राँची, सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला में इतिहास–नागरिकशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को अबतक नियुक्ति नहीं की गई है।	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि 08 अनुसूचित जिलों यथा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावां, खूँटी, राँची, सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला में इतिहास–नागरिकशास्त्र विषय में नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची से अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन 08 जिलों में इतिहास–नागरिकशास्त्र विषय में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तु स्थिति यह है कि W.P.(S) No.- 1387/2017 Soni Kumari & Ors Vrs. State of Jharkhand & Ors. में दिनांक 21.09.2020 को पारित न्यायादेश की कंडिका–58 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–21/2016 की कंडिका–5(ii) जिसमें यह अंकित है– "अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध सिर्फ उसी जिले के स्थानीय निवासी आवेदन दे सकते हैं, जिस जिला की रिक्तियाँ विज्ञापित है। उदाहरणस्वरूप राँची जिला की रिक्तियों के विरूद्ध सिर्फ राँची जिला के स्थानीय निवासी आवेदन दे सकते हैं" को भी निरस्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. लंबित रहने तक उक्त विज्ञापन के आलोक में सम्प्रति अनुसूचित जिलों में नियुक्ति संभव नहीं है।

(हस्ताक्षर)
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–136/2021...2352.../ दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के अवर सचिव।

(101)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2436
20-12-21

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-04

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 2011 में 13,000/– (तेरह हजार) रुपये के अल्प मानदेय पर रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट का चयन किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत संचालित समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रिसोर्स शिक्षकों/थेरेपिस्टों की सेवा ली जा रही है। समग्र शिक्षा हेतु राशि की स्वीकृति स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु रिसोर्स शिक्षकों/थेरेपिस्टों को प्रारंभिक मानदेय रुपये 13,000/– के नियत मानदेय पर चयन किया गया।
2	क्या यह बात सही है कि खंड (01) में वर्णित कार्यक्रम के संचालन हेतु बहाल हुए रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट के मानदेय में क्रमशः वर्ष 2013 में 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2014 में 10 प्रतिशत वृद्धि होने के पश्चात् वर्तमान में 15,730/– रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट के मानदेय में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् वर्तमान में 15,730/– रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में कार्यरत लगभग 300 रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट शिक्षित, दक्ष एवं तकनीकी योग्यता रखने के बाद भी चिकित्सा व ग्रुप बीमा, अवकाश लाभ, पी.एफ. कटौती, मानदेय में वृद्धि आदि सुविधाओं से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट के मानदेय हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त राशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें ग्रुप बीमा एवं पी.एफ. कटौती संबंधी राशि स्वीकृत नहीं है। रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट को आकस्मिक अवकाश, महिला कर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश तथा विशेष अवकाश देय है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में कार्यरत रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्टों का सेवा	1. राज्य कार्यकारिणी समिति की 57वीं बैठक दिनांक 10.02.2021 के द्वारा रिसोर्स शिक्षकों/ थेरेपिस्टों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

	नियमितीकरण, पी.एफ. कटौती, अवकाश लाभ, मानदेय में वृद्धि तथा बीमा लाभ स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एवं रू.500/-यात्रा भत्ता संबंधी बिन्दु पर सहमति व्यक्त करते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई । 2. उक्त के आलोक में समावेशी शिक्षा के तहत कार्यरत विशेष शिक्षकों/थेरेपिस्टों के मानदेय बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव Project Approval Board, GoI के अनुमोदन एवं राशि प्राप्ति हेतु प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 के PAB के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु संबंधित बिन्दु पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। पुनः राज्य कार्यालय के पत्रांक IE/40/01/2019/2317, दिनांक 10.12.2021 के माध्यम से संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराते हुए अनुमोदन का आग्रह किया गया है (पत्र की प्रति संलग्न)। 3. रिसोर्स शिक्षकों/थेरेपिस्टों को आकस्मिक अवकाश, महिला कर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश तथा विशेष अवकाश देय है (पत्र की प्रति संलग्न)। रिसोर्स शिक्षकों/थेरेपिस्टों का सेवा नियमितीकरण एवं बीमा लाभ सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/व.2-11/2021 2436 /राँची, दिनांक 20/12/2021

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2405, दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव